न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 48/2022

उनवान

हेमाराम जाट पुत्र श्री मुरलीधर जाट उम्र–व्यसक जाति जाट निवासी ग्राम खोरालाडखानी तह0 शाहपुरा जिला जयुपर राज0

बनाम वादी

राजस्थान सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0

प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 24/2/2025

उपस्थित :– वादी अधिवक्ता श्री गिरधारी लाल यादव

दावा संक्षेप में यह है कि हाल खाता संख्या नया 689 हाल आराजी खसरा नम्बर 1218 रकबा 0.26, रकबा 0.13 है0, 907 रकबा 0.06 है0, 908 रकबा 0.14 है0, 909 रकबा 0.07 है0, 914 रकबा 0.06 है0 कुल किता 6 रकबा 0.72 है0 वाकै ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा में स्थित है, जिसके 3/4 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार है एवं 1/4 हिस्सा मृतका भगानी पत्नी बिरदा जाट का नाम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज है। यह कि खाता संख्या नया 230 हाल आराजी खसरा नम्बर 3650 रकबा 0.44 है0, खाता संख्या नया 687 हाल आराजी खसरा नम्बर 3121 रकबा 0.03 है0, खाता संख्या 516 हाल आराजी खसरा नम्बर 3123 रकबा 0.88 है0, खाता संख्या 685 हाल आराजी खसराा न0 3110 रकबा 0.14 है0 ख0न0 3111 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0, खाता संख्या 686 हाल आ0ख0न0 903 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम खोरालाडखानी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है,जिसमें हाल आ0ख0न0 3650, 3121 के 1/4 हिस्सा वादी के नाम एवं 1/4 मृतका भगवानी के नाम दर्ज है। हाल आ0ख0न0 3123 का 1/6 हिस्सा वादी के नाम एवं 1/6 हिस्सा मृतका भगवानी के नाम अभिलेख में दर्ज है। इसी प्रकार हाल आराजी ख0न0 3110, 3111 एवं 903 के 1/8 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार एवं 1/8 हिस्सा मृतका भगवानी के नाम से हाल जमाबन्दी में दर्ज है,शेष हिस्सा दीगर व्यक्तियो के नाम दर्ज है, हाल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। यहकि खाता संख्या नया 366 हाल खसरा नं०–3120 रकबा 0.08 है० खाता संख्या नया 734 हाल आराजी खसरा नं0–3963/1282 रकबा 0.1417 है० वाकै ग्राम खोरालाडखानी तह०शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। हाल जमाबन्दी में खसरा नं0–3120 के 1/2 हिस्सा मृतका भगवानी के नाम से तथा खसरा नं0–3963/1282 के 425/1417 हिस्सा मृतका भगवानी पत्नी बिरदा के नाम से दर्ज है जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। उक्त वर्णित विवादित आराजीयात बिरदा पुत्र रूडा के अधिकार एवं स्वामित्व में रही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से ही बिरदू पुत्र रूडाराम विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रह है विवादित आराजी मुतनाजा पैतृक सम्पति नहीं होकर बिरदू पुत्र रूडा की स्व अर्जित सम्पति रही है जिसको हर प्रकार से रहन व्यहन एवं स्थानान्तरण करने का बिरदू को विधिक अधिकार प्राप्त था । विवादित भूमि में अंकित भगवानी विरदू की विवाहित पत्नी थी बिरदा एवं भगवान के कोई औलाद नहीं होने के कारण इनकी सेवा सुश्रुषा वादी ही करता था दिरदा ने वादी की सेवा सुश्रुषा से प्रश्न होकर अपने जीवन के अन्तिम समय में अपनी चल एवं अचल सम्पति के सम्बन्ध में एक वसीयत बादी के हक में दिनांक–02.12.1994 को निष्पादित करवायी गई। बिरदा ने वसीयत को उपपंजीयक जयपुर द्वितीय से दिनांक–02.12.1994 को पंजीबद्ध भी करवाया था जो कि उपपंजीयक कार्यालय के रजिस्ट्रेशन नं0–856 बुक नं0–3 वोल्यूम सं०–8 पेज नं0–96 दिनांक–02.12.1994 को अतिरिक्त बुक सं०–3 वोल्युम नं0–24 सीरियल नं0–43 पेज नं0–179 से 182 पर चस्पा की गई थी। वसीयत के अनुप्रमाणित गवाह भगवानी देवी एवं भरतमल शर्मा है वसीयत की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है। यहकि बिरदा ने वसीयत में अभिव्यक्त रूप से वाकैग्राम खोरालाडखानी, तह०शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खसरा नं0–891, 906, 907, 908, 909, 910, 914, 1117, 1218, 1276, 1277, 1281, 3121, 3605, 3650 में अपने हिस्से 1/2 खसरा नं0–3123 में अपने हिस्से 1/3 खेसरा नं0–903, 3117, 1219, 3110 एवं 3111 में अपने हिस्से 1/4 की वसीयत वादी के हक में निष्पादित की थी उसके अतिरिक्त बिरदू ने अपनी चल एवं अचल सम्पति का वारिसाने भी वादी का नियुक्त किया था बिरदा के नाम

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

बाद पत्र के जिमन नं०–3 में वर्णित भूमि हाल आराजी खसरा नं0–3120 एवं 1282 भी रही है जिनके खसरा नम्बरो की जानकारी वसीयत के समय को बिरदा को नहीं होने के कारण व्यक्त रूप वसीयत में अंकित होने से रह गये किन्तु बिरदा ने अपनी सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पति तथा भविष्य में अर्जित होने वाली सम्पति का वारिसान वादी का नियुक्त किया था। यहकि वसीयतकर्ता बिरदा की दिनांक 18.03.1995 को नाऔलाद मृत्यु हो गई जिसके समस्त किया कर्म वादी द्वारा करवाये गये एवं पगड़ी की रस्म भी वादी के हुई थी बिरदा की मृत्यु हो जाने पर उसके नाम दर्ज खातेदारी भूमि का फौतगी का नामान्तकरण वादी के नाम खुलवाने हेतु यादी ने प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारी पटवारी खोरालाडखानी को वसीयत एवं आवश्क दस्तावेज देकर नामान्तकरण अकेले वादी के नाम खोलने का निवेदन किया गया, किन्तु पटवारी खोरालाडखानी ने राजनैतिक दवाब से विधि विरूद्ध रूप से वाद पत्र के जिगन नं0–1 व 2 में वर्णित भूमि का वादी एवं भगवानी के नाम से एवं वाद पत्र के जिमन नं०–3 में वर्णित भूमि का नामान्तकरण अकेले भगवानी के नाम भरकर से भरकर तस्दीक करवा लिया गया जो वादी के विरूद्ध प्रारम्भ से अवैध एवं निष्प्रभावी है। यहकि बिरदा की मृत्यु हो जाने के पश्चात वाद पत्र जिमन नं0–5 में वर्णित वसीयती भूमि पर वादी बिरदा के हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा वर्तमान में भी विवादित भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त है भगवानी वादी के पास ही रहती थी तथा उसकी सेवा सुश्रुषा एवं भरण पोषण वादी ही करता रहा है भगवानी की दिनांक–01.03.2018 को मृत्यु हो चुकी है जिसके किया कर्म वादी द्वारा किये गये है भगवानी ने अपने पति बिरदा की मृत्यु के पश्चात पुनं विवाह नहीं किया था तथा ना ही उसकी कोई संतान हुई थी भगवानी के कोई विधिक वारिसान नहीं है वादी ने कई मर्तबा भगवानी से अवैध तरीके से बिरदा के फौतगी के नामान्तकरण के तहत दर्ज भूमि को वादी के नाम करवाने हेतु निवेदन कर चुका था किन्तु वे हक बार कोई ना ही बहावना बनाकर टालती रही। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि खसरा नं0–891, 1218, 907 908, 909, 914 कुल किता–6 कुल रकबा 0.72 है० मे पूर्व 1/2 हिस्सा पत पुत्र गोपाल का था वादी ने गणपत के हिस्से का कय किये जाने के कारण वादी का हिस्सा 1/2+1/4–3/4 के रूप में जमाबन्दी में दर्ज है भगवानी ने जमाबन्दी में अपने नाम का फायदा उठाते हुये हाल आराजी खसरा नं0–906, 910, 1117 1276, 1277 एवं 1281 का विकय दीगर व्यक्तियों को कर दिया है जिनके विरुद्ध वाद कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये वाद पत्र के जिमन नं0–1, 2 व 3 में वर्णित भूमियो के सम्बन्ध में ही प्रस्तुत वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है। यहकि प्रतिवादी के अधिनस्थ राजस्व कर्मचारी ने बिरदू की फौतगी का नामान्तकरण प्रविष्टि दर्ज करते समय वाद पत्र के जिमन नं0–1, 2 व 3 में वर्णित विवादित भूमि में भगवानी के नाम प्रविष्टि अवैध विधि विरूद्ध रूप से वसीयत को नजर अन्दाज करते हुये की है कानूनन विवादित भूमि में बिरदा के स्थान पर केवल मात्र वादी का नाम अंकित किया जाना चाहिए था, राजस्व कर्मचारी द्वारा गलत तरीके से भगवानी के नाम राजस्व अभिलेख में की गई प्रविष्टियो को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादी का नाम अंकित किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। यहकि नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रक्रिया होती है जिससे अधिकार तय नहीं होते है कृषि भूमि में अधिकारों की घोषणा के लिए काश्तकारी अधिनियम में अवैध तरीके से तस्दीक नामान्तकरण की कार्यवाही को प्रश्नगत बनाते हुये निष्पादित वाद प्रस्तुत का अधिकार निहित है। यहकि नामान्तकरण एक फिसल प्रोसिडिंग होती है जिससे कोई अधिकार तय नहीं होते है नामान्तकरण में विधि विरूद्ध रूप से की गई प्रविष्टियो से यदि व्यक्ति के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना पर काश्तकारी अधिनियम के तहत पीडित व्यक्ति को नामान्तकरण की कार्यवाही 'को प्रश्नगत करते हुये खातेदारी घोषणा का दावा पेश करने का अधिकार निहित है। यहकि वादी प्रशासन गांवो के संग अभियान में प्रतिवादी से विवादित भूमि की खातेदारी भगवानी के स्थान पर वादी के नाम करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी ने स्पष्ट इंकार कर दिया है जिससे श्रीमान् के समक्ष वाद प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

अन्त में निवेदन किया गया कि वाकै ग्राम खोरालाडखानी तह०शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खसरा नं0–1218, 891, 907, 908, 909, 914 किता–6 कुल रकबा 1.72 है० में भगवानी पत्नी बिरदा का नाम हजफ किया जाकर सम्पूर्ण हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाकै ग्राम खोरालाडखानी, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खसरा नं०–3650 रकबा 0.44 है० खसरा 3121 रकबा 0.03 है० में भगवानी का नाम हजफ किया जाकर 1/2 हिस्से वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। खसरा नं0–3110 रकबा 0.14 खसरा नं0–3111 रकबा 0.05, खसरा नं0–903 रकबा 0.23 है० से भगवानी का नाम हजफ किया जाकर 1/4 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । इसी प्रकार हाल आराजी खसरा नं0–3123 रकबा 0.88 है० में भगवानी का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। यहकि हाल आराजी खसरा नं0–3120 रकबा 0.08 है०, 3963/1282 रकबा 0. 1417 है० वाकै ग्राम खोरालाडखानी, तह०शााहपुरा, जिला जयपुर में मृतका भगवानी पत्नी बिरदा का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादपत्र पेश होने विधिवत रिपोर्ट ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई । तामील प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण में रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा जवाब पेश नही करने पर दिनांक 09.10.2023 को जवाब बंद किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

दिनांक 30.09.2024 को वकील वादी ने साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 हेमाराम जाट के शपथ पत्र मुख्य परीक्षण पेश किये एवं पी.डब्लू. 2 में गोवर्धन पुत्र झूंथा के बयान लेख बद्ध करवाये गये तथा दिनांक 11.11.2024 को साक्ष्य वादी में पी.डब्लू. धूणीलाल जाट के बयान लेख बद्ध करवाये गये तथा दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 वसीयतनामा, पदर्श पी 2 मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी 3 खाता संख्या 689 जमाबंदी सम्वत 2074–2077, प्रदर्श पी 4 खाता संख्या नया 230 जमाबंदी 2074–2077, प्रदर्श पी 5 खाता संख्या नया 687 जमांदी सम्वत 2074–2077, प्रदर्श पी 6 खाता संख्या नया 516 जमाबंदी सम्वत 2074–2077, प्रदर्श पी 7 खाता संख्या 685 जमाबंदी सम्वत 2074–2077, प्रदर्श पी 8 खाता संख्या नया 686 जमाबंदी सम्वत 2074–2077, प्रदर्श पी 9 खाता संख्या नया 366 जमाबंदी सम्वत 2074–2077, प्रदर्श पी 10 खाता संख्या नया 734 जमाबंदी सम्वत 2074–2077, प्रदर्श पी 11 जमाबंदी सम्वत 2049–52, प्रदर्श पी 12 जमाबंदी सम्वत 2057–60, प्रदर्श पी 13 जमाबंदी सम्वत 2061–64, प्रदर्श पी 14 जमाबंदी सम्वत 2061–64, प्रदर्श पी 15 जमाबंदी सम्वत 2061–64, प्रदर्श पी 16 जमाबंदी सम्वत 2061–64, प्रदर्श पी 17 जमाबंदी एवं प्रदर्श पी 18 भगवानी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली रहे। वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस का मनन किया । उभय वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 3120 रकबा 0.08 है०, 3963/1282 रकबा 0. 1417 है०भूमि के सम्बन्ध में वसीयत में कोई उल्लेख नहीं है । इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 3120 व 3963/1282 के सम्बन्ध में वसीयत में उल्लेख नहीं होने से इनको छोड़कर शेष आराजी में भगवानी पत्नि बिरदा जाट के नाम दर्ज हिस्से को हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दावा आंशिक डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः दावा वादी के हक में आंशिक डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा के हाल आराजी खसरा नम्बर 1218, 891, 907, 908, 909, 914 किता–6 कुल रकबा 0.72 है० में 1/4 हिस्सा खसरा नं०–3650 रकबा 0.44 है० खसरा 3121 रकबा 0.03 है० में 1/4 हिस्सा खसरा नं0–3110 रकबा 0.14 खसरा नं0–3111 रकबा 0.05, खसरा नं0–903 रकबा 0.03 है० में से 1/6 हिस्सा, खसरा नं0–3123 रकबा 0.88 है० 1/6 हिस्सा में भगवानी पत्नि बिरदा का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी हेमाराम पुत्र श्री मुरलीधर जाति जाट निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु लिखा जावे । पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 24/4/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)